UPBJ240004842021

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, नजीबाबाद जनपद बिजनौर

फौ0 वाद सं0– 264/2021

सरकार बनाम गोपीराम

मु0अ0सं0– 609/2020

थाना–नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।

आरोप

मैं, अखिल कुमार निझावन, सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, नजीबाबाद जनपद बिजनौर आप **गोपीराम** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूं–

यह कि दि0 23–11–2020 को समय करीब 17–35 बजे स्थान ग्राम गुढ़सराय, सीमान्तर्गत थाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर में आप पुलिस द्वारा पकड़े गये और आपके कब्जे से एक प्लास्टिक की कैन में 20 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई तथा शराब रखने का लाईसेंस तलब करने पर आप दिखाने से कासिर रहे। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया, जो धारा **60** आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उपरोक्त आरोप हेतु इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक : 04–01–2022

(अखिल कुमार निझावन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद
बिजनौर। यू.पी. 03212

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण किये जाने की याचना की।

दिनांक: 04–01–2022

(अखिल कुमार निझावन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद
बिजनौर। यू.पी. 03212